



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062020-219792
CG-DL-E-06062020-219792

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]
No.276]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2020/ ज्येष्ठ 15, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2020/ JYAISHTHA 15, 1942

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 04 जून, 2020

सा.का.नि. 355.(अ).- कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 25 अप्रैल, 2020 में, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 264(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, पंद्रह दिन की अवधि के समाप्त होने के पहले, आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, 25 अप्रैल, 2020 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को कीटनाशी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

परंतु यह कि इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले प्रदान किए गए विधिमान्य पंजीकरण प्रमाणपत्रों वाले सभी व्यक्ति, नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, लेबल और पर्ची जो इन नियमों के अनुसार संशोधित किये गये हैं, के अनुमोदन के लिए सचिवालय केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के समक्ष आवेदन करेंगे:

परंतु यह और कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से नौ माह की समाप्ति के पश्चात् किसी ऐसे लेबल या पर्ची का उपयोग नहीं करेगा जो इन नियमों के अनुसार संशोधित नहीं किये गये हैं:

परंतु यह भी कि ऐसे लेबल या पर्ची लगे किसी कीटनाशक या इसका पैकेज जो इन नियमों के अनुसार संशोधित नहीं किए गए हैं इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष नौ माह की समाप्ति के पश्चात् बिक्री अथवा भंडारण हेतु वितरित, बेचे, प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 19, के उपनियम (1) में,

(क) खण्ड (झ),-

- (i) उपखंड (घ) में “ लागू करना “शब्दों के बाद में कोष्टक और शब्द “(कृपया विवरण के लिए पत्रक का सन्दर्भ लें)” रखे जायेंगे;
- (ii) उपखंड (ड.) में शब्द और कोष्टक “(द एरिया)” के बाद कोष्टक और शब्द “(कृपया विवरण के लिए पत्रक का सन्दर्भ लें)” रखे जायेंगे;
- (iii) उपखंड (ज) में “पंजीकरण समिति” शब्दों के बाद, कोष्टक और शब्द, “(कृपया विवरण के लिए पत्रक का सन्दर्भ लें)” रखे जायेंगे;
- (iv) उपखंड (ञ) में “प्राथमिक चिकित्सा” शब्दों के बाद कोष्टक और शब्द, “(कृपया विवरण के लिए पत्रक का सन्दर्भ लें)” रखे जायेंगे;

(ख) खण्ड (ii) के लिए स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ii) यदि अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो तो पत्रक अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में स्याही से पठनीय रूप में मुद्रित की जाएगी

निम्नलिखित निर्धारित आकार से कम आकार की नहीं होगी।

क्र.सं.	पैकेज का आकार	प्राथमिक		द्वितीयक	
		अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी
(1)	बड़े	7	7	7	7
(2)	छोटा	5	6	7	7
(3)	अति लघु	5	6	7	7”;

(ग) खंड (iv) और (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे अर्थात :-

“(IV) ऐसे मामले जहां थैले, पैकेट अथवा कंटेनर अति लघु और लघु हैं (1 और 50 ग्राम अथवा मिली. ओर 51 तथा 250 ग्राम अथवा मिली. के बीच के आकारों के लिए) निम्नलिखित विवरण प्राथमिक पैकेज पर अमिट स्याही से मुद्रित किए जाएंगे, अर्थात :-

1. सामान्य नाम;
2. ब्रांड का नाम;
3. सूत्र की संरचना अथवा कीटनाशी;
4. विनिर्माता का नाम और पता;
5. आयातित और पुनः पैकिंग द्वारा (जहाँ भी लागू हो);
6. प्रतिकारक;
7. पंजीकरण संख्या;
8. विनिर्माता की अनुप्राप्ति संख्या;
9. बैच संख्या;
10. विनिर्माण की तारीख;
11. अवसान की तारीख;
12. शुद्ध अंतर्वस्तु का भार अथवा आयतन (मिट्रिक प्रणाली में);
13. अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित, रूपये में);
14. ग्राहक सम्पर्क विवरण;

(v) तीसरी अनुसूची में दिए II, III, IV, V, VI एवं VII चित्र के अनुरूप मॉडल लेबल्स (एक पैनल, दो पैनल और तीन पैनल) होंगे।”

3.. “तीसरी अनुसूची” में उक्त नियमों II, III, IV और V के लिए निम्नलिखित चित्र अन्तःस्थापित किये जायेंगे अर्थात:-

चित्र II : एक पैनल के लिए माडल लेबल

(1 से 50 ग्राम या मिलीलीटर और 51 से 250 ग्राम अथवा मिलीलीटर प्राथमिक पैकेटों लेबलों के लिए लागू)

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें (कम से कम अंग्रेजी और हिंदी में) :

साधारण नाम:

ब्रांड नाम®:

सूत्र की संरचना एवं कीटनाशक

प्रतिकारक: “विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग-प्रतीक संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3),(4),(5) और (6) के अनुसार”

विनिर्माता का नाम और पता:

आयातित और पुनः पैक द्वारा (जहां भी लागू हो):

रजिस्ट्रीकरण सं.:

विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:

बैच संख्या:

विनिर्माण की तारीख:

अवसान की तारीख:

शुद्ध अंतर्वस्तु भार या आयतन (मीट्रिक प्रणाली में):

अधिकतम खुदरा मुल्य (सभी करों सहित, रूपये में)

ग्राहक सम्पर्क विवरण:

उपरोक्तनुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु

चित्र III: एक पैनल के लिए माडल लेबल

(1 से 50 ग्राम या मिलीलीटर और 51 से 250 ग्राम अथवा मिलीलीटर द्वितीयक पैकटों लेबलों के लिए लागू)

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें (कम से कम अंग्रेजी और हिंदी में) :

साधारण नाम:

ब्रांड नाम®:

सूत्र की संरचना एवं कीटनाशक

प्रयोजन

पुनःप्रविष्टि

फसल एवं कीटनाशक समूह

प्रतिकारक कथन

सावधानी कथन

उपयोग एवं रीति के लिए खुराक, दिशा-निर्देश, अनुप्रयोग का समय; कृपया विवरण के लिए पत्रक का संदर्भ लें।

सुरक्षा सावधानियां, विषाक्तता के लिए लक्षण, प्राथमिक उपचार; कृपया विवरण के लिए पत्रक का संदर्भ लें:

“विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग-प्रतीक संकेत शब्द और

चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3),(4),(5) और (6) के अनुसार”

विनिर्माता का नाम और पता:

द्वारा विपणन:

आयतित और पुनः पैक द्वारा (जहां भी लागू हो):

रजिस्ट्रीकरण सं.:

विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:

बैच संख्या:

विनिर्माण की तारीख:

अवसान की तारीख:

अधिकतम खुदरा मुल्य (सभी करों सहित, रूपये में)

शुद्ध अंतर्वस्तु भार या आयतन (मीट्रिक प्रणाली में) :

ग्राहक सम्पर्क विवरण:

चित्र लिपि

उपरोक्तनुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु

चित्र IV: एक पैनल के लिए माडल लेबल

(>250 ग्राम या मि.ली. प्राथमिक एवं द्वितीयक पैक लेबल के लिए लागू)

उपयोग से पहले पत्रक को पढ़ें (कम से कम अंग्रेजी और हिंदी में) :

साधारण नाम:

ब्रांड नाम®:

सूत्र की संरचना एवं कीटनाशक:

प्रयोजन:

पुनःप्रविष्टि:

फसल एवं कीटनाशक समूह:

उपयोग एवं रीति के लिए खुराक, दिशा-निर्देश, अनुप्रयोग का समय; कृपया विवरण के लिए पत्रक का संदर्भ लें।

सुरक्षा सावधानियां:

विषाक्तता के लक्षण:

प्राथमिक उपचार:

प्रतिकारक कथन:

सावधानी कथन:

“विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग-प्रतीक संकेत शब्द और

चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3),(4),(5) और (6) के अनुसार”

विनिर्माता का नाम और पता:

द्वारा विपणन:

आयतित और पुनः पैक द्वारा (जहां भी लागू हो):

रजिस्ट्रीकरण सं.:

विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:

वैच संख्या:

विनिर्माण की तारीख:

अवसान की तारीख:

अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित, रूपये में)

शुद्ध अंतर्वस्तु भार या आयतन (मीट्रिक प्रणाली में):

ग्राहक सम्पर्क विवरण:

चित्र लिपि

उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु

चित्र V: दो पैनों के लिए माडल लेबल

(1 से 50 ग्राम या मिलीलीटर और 51 से 250 ग्राम अथवा मिलीलीटर द्वितीयक पैकेज लेबल के लिए लागू)

<p>उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े</p> <p>ग्राहक सम्पर्क विवरण:</p> <p>रजिस्ट्रीकरण सं.:</p> <p>विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:</p> <p>बैच संख्या:</p> <p>विनिर्माण की तारीख:</p> <p>अवसान की तारीख:</p> <p>अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित, रुपये में) शुद्ध अन्तर्वस्तु भार या आयतन (मीट्रिक प्रणाली में):</p> <p>चित्र लिपि</p>	<p>साधारण नाम:</p> <p>ब्रांड नाम® :</p> <p>सूत्र की संरचना अथवा कीटनाशक:</p> <p>प्रयोजन:</p> <p>पुनःप्रविष्टि:</p> <p>फसल और कीट समूह:</p> <p>उपयोग एवं रीति के लिए खुराक, दिशा-निर्देश, अनुप्रयोग का समय:</p> <p>कृपया विवरण के लिए पत्रक को देखें</p> <p>“विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग- प्रतीक- संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3),(4),(5) और (6) के अनुसार”</p> <p>सुरक्षा सावधानियाँ विषाक्तिकरण के लक्षण प्राथमिक उपचार: कृपया विवरण के लिए पत्रक को देखें प्रतिकारक:</p> <p>सावधानियाँ कथन:</p> <p>विनिर्माता का नाम और पता: द्वारा विपणन :</p> <p>आयतित और पुनः पैक द्वारा (जहां भी लागू हो): उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु</p>
---	--

चित्र VI : दो पैनों के लिए माडल लेबल

(>250 ग्राम या मि.ली. प्राथमिक और द्वितीयक पैकेज लेबल के लिए लागू)

<p>उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े</p> <p>ग्राहक सम्पर्क विवरण:</p> <p>रजिस्ट्रीकरण सं.:</p>	<p>साधारण नाम:</p> <p>ब्रांड नाम® :</p> <p>सूत्र की संरचना अथवा कीटनाशक:</p> <p>प्रयोजन:</p> <p>पुनःप्रविष्टि:</p> <p>फसल और कीट समूह:</p> <p>उपयोग एवं रीति के लिए खुराक, दिशा-निर्देश, अनुप्रयोग का समय:</p> <p>कृपया विवरण के लिए पत्रक को देखें</p>
--	---

विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या: बैच संख्या: विनिर्माण की तारीख: अवसान की तारीख: अधिकतम खुदरा मुल्य (सभी करों सहित, रूपये में) शुद्ध अन्तर्वस्तु भार या आयतन (मीट्रिक प्रणाली में): चित्र लिपि	“विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग- प्रतीक-संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3),(4),(5) और (6) के अनुसार” सुरक्षा सावधानियाँ विषाक्तिकरण के लक्षण प्राथमिक उपचार: प्रतिकारक: सावधानियाँ कथन: विनिर्माता का नाम और पता: द्वारा विपणन: आयतित और पुनः पैक द्वारा (जहां भी लागू हो): उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु”
--	---

चित्र VII : तीनों पैनों के लिए माडल लेबल

(>250 ग्राम या मि.ली. प्राथमिक और द्वितीयक पैकेज लेबल एवं मोनोकार्टोन के लिए लागू)

उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े उपयोग से पहले पत्रक पढ़े ग्राहक सम्पर्क विवरण:	साधारण नाम: ब्रांड नाम® : सूत्र की संरचना अथवा कीटनाशक: “विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग- प्रतीक-संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3),(4),(5) और (6) के अनुसार” विनिर्माता का नाम और पता द्वारा विपणन : आयतित और पुनः पैक (जहां भी लागू हो): रजिस्ट्रीकरण सं.: विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या: बैच संख्या: विनिर्माण की तारीख: अवसान की तारीख: अधिकतम खुदरा मुल्य (सभी करों सहित, रूपये में)	प्रयोजन: पुनःप्रविष्टि: फसल और कीट समूह: उपयोग एवं रीति के लिए खुराक, दिशा-निर्देश, अनुप्रयोग का समय: कृपया विवरण के लिए पत्रक देखें सुरक्षा सावधानियाँ विषाक्तिकरण के लक्षण प्राथमिक उपचार: प्रतिकारक: सावधानियाँ कथन: उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु
---	--	--

चित्रलिपि	शुद्ध अन्तर्वस्तु भार या आयतन (मीट्रिक प्रणाली में):	
-----------	---	--

[फा. सं. 13035/33/2019-पी.पी.-I]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा0का0नि0 1650(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे—

1. सा0का0नि0 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976,
2. सा0का0नि0 736(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1977,
3. सा0का0नि0 1064(अ), तारीख 7 नवंबर, 1988,
4. सा0का0नि0 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,
5. सा0का0नि0 371(अ), तारीख 20 मई, 1999,
6. सा0का0नि0 372(अ), तारीख 20 मई, 1999,
7. सा0का0नि0 586(अ), तारीख 12 अगस्त, 1999,
8. सा0का0नि0 548(अ), तारीख 12 सितंबर, 2006,
9. सा0का0नि0 692(अ), तारीख 7 नवंबर, 2006,
10. सा0का0नि0 128(अ), तारीख 26 फरवरी, 2009,
11. सा0का0नि0 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010,
12. सा0का0नि0 474(अ), तारीख 11 जुलाई, 2013,
13. सा0का0नि0 797(अ), तारीख 13 नवंबर, 2014,
14. सा0का0नि0 840(अ), तारीख 5 नवंबर, 2015,
15. सा0का0नि0 164(अ), तारीख 15 फरवरी, 2016,
16. सा0का0नि0 794(अ), तारीख 12 अगस्त, 2016,
17. सा0का0नि0 79(अ), तारीख 27 जनवरी, 2017,
18. सा0का0नि0 106(अ), तारीख 1 फरवरी, 2017,
19. सा0का0नि0 1229(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2017,
20. सा0का0नि0 1588(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2017,
21. सा0का0नि0 399(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2018
22. सा0का0नि0 1204(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2018,
23. सा0का0नि0 11(अ), तारीख 4 जनवरी, 2019,

24. सा0का0नि0 535 (अ), तारीख 30 जुलाई, 2019,
25. सा0का0नि0 782 (अ) तारीख 14 अक्टूबर 2019 और
26. सा0का0नि0 07 (अ) तारीख 2 जनवरी 2020।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 04th June, 2020

G.S.R. 355.(E) — Whereas, the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare) number G.S.R. 264 (E), dated the 24th April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 25th April, 2020, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of fifteen days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 25th April, 2020;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules within the specified period have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :-

- (1) These rules may be called the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that all persons with valid certificates of registration granted before the date of coming into force of these rules shall, within a period of ninety days from this date, apply to the Secretariat, Central Insecticides Board and Registration Committee, for the approval of labels and leaflets that have been amended in accordance with these rules:

Provided further no person shall use a label or leaflet that has not been amended in accordance with these rules after the expiry of nine months from the date of coming into force of these rules:

Provided also that no insecticide or its package bearing a label or leaflet that has not been amended in accordance with these rules shall be distributed, sold, exhibited for sale or stocked, after the expiry of one year nine months from the date of coming into force of these rules.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred as the said rules) in sub-rule (1) of rule 19,-

(a) in clause (i),-

(i) in sub-clause (d), after the words “to apply”, the brackets and words, “(Please refer leaflet for details)” shall be inserted;

(ii) in sub-clause (e), after the words and bracket “(the area)”, the brackets and words “(Please refer leaflet for details)” shall be inserted;

(iii) in sub-clause (h), after the words “Registration Committee”, the brackets and words “(Please refer leaflet for details)” shall be inserted;

(iv) in sub-clause (j), after the words “first aid”, the brackets and words “(Please refer leaflet for details)” shall be inserted;

(b) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) The label shall be printed legibly with indelible ink in English and Hindi languages unless stated otherwise in the font sizes not less than the size prescribed as below:

Sl. No.	Package Size	Primary		Secondary	
		English	Hindi	English	Hindi
(1)	Big	7	7	7	7
(2)	Small	5	6	7	7
(3)	Ultra small	5	6	7	7”;

(c) for clauses (iv) and (v), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(iv) In case where the sachets, packets or containers are ultra-small and small (for sizes between 1 and 50 gm or ml and 51 and 250 gm or ml) the following details shall be printed with indelible ink on primary package, namely:-

- 1) common name;
- 2) brand name;
- 3) composition of the formulation or insecticides;
- 4) name and address of the manufacturer ;
- 5) imported and re-packed by (wherever applicable);
- 6) antidote;
- 7) registration number;
- 8) manufacturer’s license number;
- 9) batch number;
- 10) manufacturing date;
- 11) expiry date;
- 12) net content weight or volume (in metric system); and
- 13) maximum retail price (MRP inclusive of all taxes, in rupees);
- 14) Customer care details.

(v) The model labels (one panel, two panels and three panels) shall be as per the pictures II,

3. In the said rules, in the “THIRD SCHEDULE” for Picture II, III, IV and V, the PICTURES II, III, IV, V, VI and VII shall be substituted, namely:-

“PICTURE II: MODEL LABEL FOR ONE PANEL

(Applicable for 1 to 50 gm or ml and 51 to 250 gm or ml Primary package labels)

Read leaflet before use (at least in English and Hindi)

Common name:

Brand Name®

Composition of the formulation or insecticides:

Antidote:

“Diamond shape square-symbol, signal word and warning statements and any other information as per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19”

Name and Address of manufacturer:

Imported and re-packed by (wherever applicable):

Registration No:

Mfg Lic. No:

Batch number:

Mfg. Date:

Expiry date:

Net content: weight or volume (in metric system)

MRP incl. of all taxes. Rs.

Customer care details

Similar content as above in Hindi

PICTURE III: MODEL LABEL FOR ONE PANEL**(Applicable for 1 to 50 gm or ml and 51 to 250 gm or ml secondary package Label)****Read Leaflet before Use (at least in English and Hindi):**

Common name:

Brand Name®

Composition of the formulation or insecticides:

Purpose:

Re-entry:

Crops and Pest Groups:

Antidote Statement:

Cautionary statements:**Dosage, Direction for use and Manner and time of application: Please refer leaflet for details****Safety Precautions, Symptom of Poisoning, First Aid: Please refer leaflet for details**

“Diamond shape square-symbol, signal word
and warning statements and any other information
as per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19”

Name and Address of manufacturer:

Marketed by:

Imported and re-packed by (wherever applicable):

Registration No:

Mfg. Lic. No:

Batch Number:

Mfg. Date:

Expiry Date:

MRP incl. of all taxes. Rs.

Net Content: weight or volume (in metric system)

Customer Care details:

PICTOGRAMS

Similar content as above in Hindi

PICTURE IV: MODEL LABEL FOR ONE PANEL
(Applicable for >250 gm or ml primary and secondary package Label)

Read Leaflet before Use (at least in English and Hindi):

Common name:

Brand Name®

Composition of the formulation or insecticides:

Purpose:

Re-entry:

Crops and Pest Groups:

Dosage, Direction for use and Manner and time of application: Please refer leaflet for details

Safety Precautions:

Symptom of Poisoning:

First Aid:

Antidote Statement:

Cautionary statements:

“Diamond shape square-symbol, signal word
and warning statements and any other information
as per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19”

Name and Address of manufacturer:

Marketed by:

Imported and re-packed by (wherever applicable):

Registration No:

Mfg. Lic. No:

Batch Number:

Mfg. Date:

Expiry Date:

MRP incl. of all taxes. Rs.

Net Content: weight or volume (in metric system)

Customer Care details:

PICTOGRAMS

Similar content as above in Hindi

PICTURE V: MODEL LABEL FOR TWO PANELS
(Applicable for 1 to 50 gm or ml and 51 to 250 gm or ml secondary package Label)

<p>Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use</p> <p>Customer Care details:</p> <p>Registration No. Mfg. Lic. No. Batch No. Mfg. Date Expiry Date: MRP incl. of all taxes. Rs.</p> <p>Net content: weight or volume (in metric system)</p> <p>PICTOGRAMS</p>	<p>Common name: Brand Name[®] Composition of the formulation or insecticides: Purpose: Re-entry: Crops and Pest Groups:</p> <p>Dosage, Direction for use, and Manner and time of application: Please refer leaflet for details “Diamond shape square-symbol, signal word and warning statements and any other information as per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19”</p> <p>Safety Precautions, Symptoms of Poisoning and First Aid: Please refer leaflet for details</p> <p>Antidote: Cautionary statement: Name and address of Manufacturer: Marketed by: Imported & re-packed by (wherever applicable): Similar content as above in Hindi:</p>
---	---

PICTURE VI: MODEL LABEL FOR TWO PANELS
(Applicable for >250 gm or ml primary and secondary package Label)

<p>Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use</p> <p>Customer Care details:</p> <p>Registration No. Mfg. Lic. No. Batch No. Mfg. Date Expiry Date: MRP incl. of all taxes. Rs.</p> <p>Net content: weight or volume (in metric system)</p> <p>PICTOGRAMS</p>	<p>Common name: Brand Name® Composition of the formulation or insecticides: Purpose: Re-entry: Crops and Pest Groups: Dosage, Direction for use, and Manner and time of application: Please refer leaflet for details</p> <p>“Diamond shape square-symbol, signal word and warning statements and any other information as per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19”</p> <p>Safety Precautions: Symptoms of Poisoning: First Aid: Antidote: Cautionary statement: Name and address of Manufacturer: Marketed by: Imported and re-packed by (wherever applicable): Similar content as above in Hindi:</p>
--	---

PICTURE VII: MODEL LABEL FOR THREE PANELS
(Applicable for > 250 gm or ml labels primary and secondary package and monocartons)

<p>Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use</p> <p>Customer Care details:</p> <p>PICTOGRAMS</p>	<p>Common name: Brand Name® Composition of the formulation or insecticides: “Diamond shape square-symbol, signal word and warning statements and any other information as per sub-rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19”</p> <p>Name and address of Manufacturer: Marketed by: Imported & re-packed by (wherever applicable): Registration No. Mfg. Lic. No. Batch No. Mfg. Date: Expiry Date: MRP incl. of all taxes. Rs. Net content: weight or volume (in metric system)</p>	<p>Purpose: Re-entry: Crops and Pest Groups: Dosage, Direction for use and Manner and time of application: Please refer leaflet for details</p> <p>Safety Precautions: Symptoms of Poisoning: First Aid:</p> <p>Antidote: Cautionary statement:</p> <p>Similar Content as above in Hindi”.</p>
--	---	---

[F. No. 13035/33/2019-PP.I]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended vide:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 586 (E), dated 12th August, 1999,
8. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006,

9. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
10. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
11. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,
12. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013,
13. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014,
14. G.S.R. 840(E), dated 5th November, 2015,
15. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016
16. G.S.R. 794 (E), dated 12th August, 2016,
17. G.S.R.79(E), dated 27th January, 2017,
18. G.S.R. 106(E), dated 1st February, 2017,
19. G.S.R. 1229(E), dated 4th October, 2017,
20. G.S.R. 1588(E), dated 22nd December, 2017,
21. G.S.R. 399(E), dated 20th April, 2018,
22. G.S.R.1204 (E), dated 13th December, 2018,
23. G.S.R.11(E), dated 4th January, 2019,
24. G.S.R. 535(E) dated 30th July, 2019,
25. G.S.R. 782(E) dated 14th October, 2019 and
26. G.S.R. 07(E) dated 2nd January, 2020.